श्री बड़े: यह स्टेटमेंट देवें, तीन तीन प्रश्न पूछे गये और तीनों में फिगर्स उनके पास नहीं हैं . . .

Shri Jagjivan Ram: Unless I receive notice of that question, I cannot supply the information.

श्री हुकम चन्द कछवाय: राजस्थान, पंजाब और जम्मू काश्मीर इन क्षेत्रों में चलने वाले कारखाने जो हैं उनको इस हाल के युद्ध में कितनी हानि हुई और इन स्टेट्स को कितना पैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग अलग दिया गया?

श्री जगजीवन राम: इसके लिये सूचना की जरूरत है।

Shri Daji: I was quite surprised to hear that 95 of the industries had been rehabilitated. I would, therefore, like to ask pointedly whether any industry closed in Amritsar, Batala etc. as a result of having been the victims of the last bombing etc., has started working. So far as we know, not one of them has yet started working. Therefore, to what facilities is the hon. Minister referring when he says that 95 per cent of them have been rehabilitated? In Batala, Amritsar etc. not one of them has yet started working.

Shri Jagjivan Ram: My information is just the contrary, and that is on the basis of the report that we have received from the Punjab Government.

Shri Daji: On the 17th, Shri Buta Singh was there. Not one of them is working. Everybody knows it. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Hon. Members cannot go on in this way. The question has been put, and the answer has been given. The hon. Members have got one kind of information, and the hon. Minister has replied that his information is to the contrary. If that answer given by the hon. Minister is wrong, hon. Members can have the matter discussed in some other manner. What else can I suggest to them? They might ask for a discussion saying that the answers that have been given have not been given in clear terms.

Shri Jagjivan Ram: I would again reiterate that my information is based on the report received from the Punjab Government.

Mr. Speaker: There are divergent views and they are at the extremes. Here is an allegation that none of those industries has been started; the hon. Minister, however, says that 95 per cent of them has been rehabilitated and they are working.

Shri Jagjivan Ram: That is why I am intervening . . .

Shri Ranga: The hon. Minister should make further enquires.

Shri Jagjivan Ram: My information is based on the report received from the State Government. In view of these supplementary questions, I shall again go into details and check up what the actual position is.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: What specific steps has the Labour Ministry taken so far or propose to take to secure adequate compensation to arrest unemployment under the war risks insurance scheme in respect of factories and personnel?

Shri Jagjivan Ram: Whatever benefit for lay-off or retrenchment is provided under the relevant Acts will be payable to employees in these industries.

Migration of Hindus from East Pakistan

*153. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Yashpal Singh:
Shri R. Barua:
Shri Dhaleshwar Meena:

Shri Ramachandra Ulaka:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Hindus have migrated from East Pakistan to India during the period from November, 1965 to January, 1966;

(b) if so, the number of such migrants; and

(c) the steps taken to rehabilitate them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). During the period from November 1965 to January, 1966, 2,601 migrants have come from East Pakistan. Community-wise break-up is not available.

(c) Among these migrants, those who are eligible for relief and rehabilitation assistance, are being given relief assistance for the present pending arrangements for their permanent rehabilitation.

डा० राम मनोहर लोहिया : 15 अगस्त, 1947 के बाद से यानी आजादी के बाद से पूर्व पाकिस्तान से कुल कितने अल्पसंख्यक विस्थापित होकर के भारत में आये हैं ?

Shri D. R. Chavan: The total number of migrants coming from East Pakistan from 1947 to 1958 is 4107 lakhs; from April 1958 to December 1963, it is 0.62 lakhs. The influx from 1-1-1964 to 14-1-1966 is of 8,01,798 persons.

डा० राम मनोहर लोहिया: कुल कितना जोड़ है ?

अध्यक्ष महोदय : जोड़ इनके पास भी नहीं है । आप कर लीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अन्दाज से जोड़ लगा लेता हूं करीब 70 लाख । तो क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत से भी अल्पसंख्यक विस्थापित हुए हैं उनकी संख्या बताते हुए, यह कहेंगे कि इन अल्पसंख्यकों के बारे में जो जो समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच होते हैं जिनमें आखिरी समझौता ताशकन्द समझौता है, उनका असर पड़ता है और यह विस्थापित होते रहते हैं, अगर होते रहते हैं तो क्या इलाज है उनके पास ?

Mr. Speaker: Some hon. Minister must answer.

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह खुद ही आपस में तय करके नहीं आते हैं और यहां समय खराब करते हैं ।

श्री शिव नारायण: आप से क्या मतलब?

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमें जवाब मिलना चाहिए ।

श्री शिव नारायण : जवाब मिल तो रहा है ।

Shri Buta Singh: The seats of the Minister and Deputy Minister of a Ministry should be allotted in such a way that they can consult each other within a close distance; the seats should not be far away.

श्री जगजीवन राम : ताशकन्द के समझौते का असली मकसद यह है कि दोनों देशों में सद्भावना हो . . .

श्री हरि विष्णु कामत : घोषणा है, समझौता नहीं ।

श्री जगजीवन राम : अच्छी बात है । घोषणा ही सही । और यह आशा की जाती है कि सद्भावना होने के बाद पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों को सद्भाव के साथ रहने की गुंजाइश हो जायगी और वहां से जो विस्थापित होकर के लोग यहां आते थे उनकी तादाद में बहुत कमी होगी और हमारी समस्या कम हो जायगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय: मैं सुन रहा हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया: कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं । अगर इसी तरह सुनते रहें तो मेरा भी काम हल्का हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी तकलीफ यही है कि आप बहुत ज्यादा सुनाना चाहते हैं जितना मैं नहीं सुन सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया: उसका सबब यही है कि हम लोग कुल 8 हैं, इसलिए नहीं कि वह अबैध या अनुचित है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बताइए क्या सुनाना चाहते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : ताशकन्द घोषणा के पहले, आज से 15 वर्ष पहले नेहरू-लियाकत घोषणा या समझौते में इतने बढ़िया बढ़िया शब्द अल्पसंख्यकों के बारे में लिखे गये कि उसके सामने यह कोई चीज नहीं है फिर भी बार बार यह चीजें होती रहती हैं तो इस पर मंत्री महोदय से कुछ उत्तर दिलवाइये ।

श्री जगजीवन राम : इसमें अधिक कहने की आवश्यकता तो है नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि पहले भी समझौते होते रहे हैं ऐसे सदभावना के और अल्पसंख्यकों के भी कि वह वापस चले जायेंगे, उन पर तो कभी अमल हुआ नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता रहा है तो अब भी जो हुआ है उसका भी क्या वही हाल होगा ?

श्री जगजीवन राम : इसके सम्बन्ध में हम अधिक क्या कह सकते हैं । यही कह सकते हैं कि ताशकन्द समझौते को ईमानदारी के साथ अमल में दोनों देश लायेंगे और उसका असर पड़ेगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : 18 वर्ष के जो ईमान वाले लोग हैं वहां जायेंगे न ?

श्री राज सहाय पाण्डेय: ताशकंद समझौते के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सद्भावना उत्पन्न हो गई है कि जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से यहां आये हैं और अब वापिस जाना चाहते हैं तो उन को पाकिस्तान क्या सुविधा प्रदान करेगा ?

श्री जगजीवन राम : अभी यह कहा हुआ है ।.

श्री यशपाल सिंह : जैसा कि हमारे माननीय त्यागी जी ने कहा था कि जिस वक्त वह पुनर्वास मंत्री थे क्या यह सरकार बतला सकती है कि उस पर कितना अमल किया गया है और जितने लोग वहां से उजड़ कर आये हैं उतना जमीन पाकिस्तान से क्या ली जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अब छोड़िये । यहां ही रहने दीजिये, क्यों वापिस करते हैं उन को ?

श्री यशपाल सिंह : उतनी जमीन पाकिस्तान से हासिल की जाय ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम वापिस नहीं जाना चाहते, हमें यहां ही रहने दिया जाय ।

श्री यशपाल सिंह: जमीन कितनी वापिस ली जायगी उन से ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसेवक यादव ।

श्री रामसेवक यादव : क्या जनवरी के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोग इधर आये हैं, यदि आये हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगजीवन राम : जनवरी के बाद के आंकड़े तो हमारे पास हैं नहीं और आशा करता हूं कि नहीं आये होंगे ।

श्री डागड़ी : मंत्री महोदय ने वह आंकड़े बताये हैं कि जो भारत के अन्दर पाकिस्तान से अल्पसंख्यक आये हैं तो कृपया मंत्री महोदय यह भी बतलाने की कृपा करें कि भारत से कितने अल्पसंख्यक और मुसलमान पाकिस्तान में गये हैं ?

Shri D. R. Chavan: That figure is not with me.

श्री जगजीवन राम: मैं यह बता सकता हूं कि इस अभी की लड़ाई के बीच में कोई भी अल्पसंख्यक विस्थापित होकर यहां से पाकिस्तान नहीं गया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया: 18 वर्ष में ?

Shri **Hem Barua:** May I draw the attention of the hon. Minister to Clause No. VIII of this declaration of pious intentions signed at Tashkent, which says:

> "They also agreed that both sides will create conditions which will prevent the exodus of people."

This particular clause puts India on a par with Pakistan in the matter of exodus of people from one country to another. In this context, may I know—the hon. Minister has already said that during this conflict not a single member of the minority community throughout the country migrated to Pakistan, whereas Pakistan people migrated to this country—whether our late Prime Minister did not know this when he put India on a par with Pakistan by this particular clause in this matter of mischief?

अध्यक्ष महोदय : वहां से जो इधर आये उनका रिहैबिलिटेशन हो चुका है बाकी यहां से कोई भी अल्पसंख्यक विस्थापित होकर पाकिस्तान नहीं गया है असली पोजीशन यह है।

Telephone Bills

\+

*154. **Shri Yashpal Singh:**
Dr. P. Srinivasan:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Balmiki:
Shri Bagri:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri M. Rampure:
Shri Daljit Singh:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the amount of arrears of telephone bills State-wise (Governmental and Public) as on the 31st December, 1965; and

(b) the steps taken to realise the same and the results thereof?

The Parliamentary Secretary in the Department of Communication (Shri Bhanu Prakash Singh): (a) and (b). The information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-5540/66].

श्री यशपाल सिंह : यह टेलीफोन बिल्स की अदायगी न होने से सरकार को जो इतना नुकसान होता है तो कोई ऐसा विचार आप के सामने है कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीफोन के बिल अदा नहीं किये हैं तो वह बकाया पैसा उनकी तनख्वाहों में से काटा जाय या उनकी प्रापरटी से वसूल किया जाय ? आखिर सरकार कब तक इस नुकसान को बर्दाश्त करेगी ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganatha Rao): Steps have been taken to realise arrears. The arrears outstanding for upto 1-10-1965 amount to about Rs. 4.40 crores, whereas the last year's income from telephones is Rs. 43 crores. Now steps are being taken to realise the arrears, and where arrears are not paid, the connections are being disconnected.

श्री यशपाल सिंह : उस के लिये कितनी अवधि आपने रखी है. कितनी मियाद उस के लिये रखी है ? कोई अगर टेलीफोन का बिल पे न करे तो कब तक उस का कैनक्शन कंटीन्यू रहेगा और कब वह डिस्कनेक्ट कर दिया जायगा ? इस के लिये कितने महीने की मियाद है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल में रोज लिखा आता है।